



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2018-कार्तिक 11, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

काउंसिल ऑफ स्वायत्त निकास द्वारा स्थापित मध्यांचल मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
(राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत शिक्षा संस्थान)

अधिसूचना

1. मध्यांचल मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यह संस्थान मध्यप्रदेश शासन के रजिस्ट्रीकरण सोसायटी अधिनियम की धारा-1973, के तहत पंजीकृत होकर गुणवत्ता मापदण्ड के अनुसार ISO 9001: 2015, द्वारा प्रमाणित और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन (IATE) पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है.

2. यह संस्थान भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के परि पालनार्थ हेतु वर्चित समूहों से सम्बंधित (जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सुलभ शिक्षा मुहैया कराता है.) यह मध्यप्रदेश शासन का स्वायत्त निकाय है, जो पंजीयन क्र. 07/36/06/14056/17 के तहत कक्षा 8th, 10th, 12th, D.EL, ED. और अन्य डिप्लोमा स्तर के कोर्सेस की परीक्षा करवाता है और प्रमाण-पत्र जारी करता है. तथा राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पाठ्य क्रमानुसार ही पाठ्यक्रम का संचालन करता है.

3. मध्यांचल मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र अग्रिम उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु या सरकारी नौकरियों के लिये सभी संस्थानों में स्वीकार्य किये जावेंगे.

ईश्वर सिंह मालवीय,

मध्यांचलयुक्त विद्यालय, शिक्षा संस्थान.

(646-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कुंवर जयदीप सिंह गंगवार आत्मज श्री ओम प्रकाश गंगवार, आयु वयस्क, निवासी-H/N 162, नीरजा नगर, जे. के. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश है जो कि मेरी हायर स्कूल की अंकसूची तथा कॉलेज की अंकसूची व पासपोर्ट में दर्ज है. अब आज से मेरा नाम

जयदीप सिंह गंगवार (JAIDEEP SINGH GANGWAR) आत्मज श्री ओम प्रकाश गंगवार (OM PRAKASH GANGWAR) हो गया है. आज से मेरा नाम सभी दस्तावेजों में जयदीप सिंह गंगवार (JAIDEEP SINGH GANGWAR) आत्मज श्री ओम प्रकाश गंगवार (OM PRAKASH GANGWAR) के नाम से लिखा व पढ़ा जावे तथा जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कुंवर जयदीप सिंह गंगवार)

आत्मज ओम प्रकाश गंगवार.

नया नाम :

(जयदीप सिंह गंगवार)

आत्मज ओम प्रकाश गंगवार,
निवासी-162, नीरजा नगर, जे. के. रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(628-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आनंदीलाल नागर था, जिसे परिवर्तित कर आनंद नागर पिता महेश चन्द नागर कर लिया है, अतः मुझे आनंद नागर पिता महेश चन्द नागर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(आनंदीलाल नागर)

नया नाम :

(आनंद नागर)

पिता-महेश चन्द नागर,
पता—गांव-मकोड़ी, तहसील गुलाना,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(629-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम ऊषा दीक्षित था जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रानी दीक्षित अंकित है. अतः मुझे भविष्य में सभी सरकारी व अन्य सभी दस्तावेजों में रानी दीक्षित के नाम से ही जाना, पहचाना, पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(ऊषा दीक्षित)

नया नाम :

(रानी दीक्षित)

पत्नी विनय कुमार दीक्षित,
पता-हाउस नंबर-16, श्रीकृष्ण कॉलोनी,
पड़ाव, ग्वालियर (म.प्र.).

(630-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुमन पाण्डे पति मदनलालजी पाण्डे है. मेरे राशनकार्ड व परिचय-पत्र तथा विक्रय-पत्र क्रमांक 1 अ 351 में शकुन्तला पाण्डे पति मदनलालजी पाण्डे नाम अंकित है मेरे पति पुलिस अधीक्षक के पद सेवानिवृत्त हुए वहां तथा बैंक में मेरा नाम सुमन पाण्डे अंकित है.

2. मैं, शकुन्तला पाण्डे व सुमन पाण्डे नाम की एक ही महिला हूँ. अब मुझे सुमन पाण्डे पति मदनलालजी पाण्डे के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ एवं भविष्य में भी इसी नाम से जाना, पहचाना जावे तथा जहां कहीं भी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग में मेरा नाम शकुन्तला पाण्डे है उसके स्थान पर सुमन पाण्डे ही पढ़ा जावेगा.

पुराना नाम :

(शकुन्तला पाण्डे)

पति मदनलाल पाण्डे.

नया नाम :

(सुमन पाण्डे)

पति मदनलालजी,
199, कस्तुरबानगर, गली नम्बर 5,
रतलाम (म.प्र.).

(631-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वविदित है कि मैं, प्रिन्स पाल पुत्र श्री नारायण सिंह पाल, निवासी ढोली बुआ का पुल, जटार गली, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) का निवासी हूँ मैं शपथ पूर्व सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में हिदेश (HRIDESH) दर्ज है। जबकि स्कूल एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम मेरे द्वारा हृदयांश (HRIDYANSH) दिया गया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र हृदयांश (HRIDYANSH) के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय स्कूल एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे।

प्रेषक

प्रिन्स पाल,

पुत्र श्री नारायण सिंह पाल,
निवासी-ढोली बुआ का पुल, जटार गली,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(632-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी आकांक्षा राठौर पुत्री श्री गोविन्द सिंह राठौर, आयु 21 वर्ष, निवासी 114, सेवा नगर, ग्वालियर (म.प्र.) की है। मेरे समस्त दस्तावेज एवं शासकीय रिकार्डों में मेरा नाम आकांक्षा राठौर है जो कि मेरा वास्तविक नाम है। यह कि गलती से मेरा नाम बीमा पॉलिसी में वर्षा राठौर अंकित हो गया है। जबकि मेरा नाम आकांक्षा राठौर एवं वर्षा राठौर दोनों नाम एक ही हैं। उक्त नामों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः वर्षा राठौर के नाम की पॉलिसी का कु. आकांक्षा राठौर को भुगतान किया जावे एवं अब मुझे कु. आकांक्षा राठौर पिता श्री गोविन्दसिंह राठौर, पता 114, सेवा नगर, ग्वालियर (म.प्र.) के नाम से ही जाना जावे।

पुराना नाम :

(कु. वर्षा राठौर)

(633-बी.)

नया नाम :

(कु. आकांक्षा राठौर)

पिता गोविन्द सिंह राठौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री जो कि अभी नाबालिग है। मेरी पुत्री का घर का नाम पारवी दण्डौतिया था। अब नाम बदलकर वेदिका दण्डौतिया (VEDIKA DANDOTIYA) पुत्री नागेश दण्डौतिया रख लिया है। अतः भविष्य में मेरी पुत्री को वेदिका दण्डौतिया के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

प्रेषक

नागेश दण्डौतिया,

A-6, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी,
विश्वविद्यालय मार्ग, थाटीपुर, ग्वालियर.

(634-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

श्रीमती मोहिनी रिछारिया पुत्री श्री एम. डी. रिछारिया पत्नी श्री रोहित शुक्ला मेरा शादी के पूर्व नाम मोहिनी रिछारिया था एवम् शादी के बाद नाम श्रीमती मोहिनी शुक्ला लिखा व जाना जाये।

पुराना नाम :

(मोहिनी रिछारिया)

(635-बी.)

नया नाम :

(मोहिनी शुक्ला)

पति श्री रोहित शुक्ला,
पता-शांतिनगर कॉलोनी, गली नं.-01,
पांचवा मोड़, छतरपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as Hradyesk Kumar Namdeo Son of Shri. Magan Lal Namdeo self employed as professional consultant and business having own residence at 66, B-Sector, Indrapuri, Bhopal Pin 462 022, Madhya Pradesh have changed my name and shall hereafter be known as HRAADYESH KUMAR NAMDEO.

Old Name:

(HRADYESH KUMAR NAMDEO)

(636-B.)

New Name :

(HRAADYESH KUMAR NAMDEO)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम मनीषा तिवारी पुत्री श्री रमेश मोहन तिवारी था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम मनीषा शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा के नाम से ही जाना, पहचाना जाए. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती मनीषा शर्मा ही अंकित है. अब मुझे मेरे सही नाम से ही जाना जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(मनीषा तिवारी)**(मनीषा शर्मा)**

पुत्री श्री रमेश मोहन तिवारी.

पत्नी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा,
पता-शब्द प्रताप आश्रम, चक्की वाल बगीचा,
किला रोड, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(637-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Mrs. Harleen kaur Hora inform public in general that I have been married to Amit Singh Hora S/o Mr. Baljeet Singh Hora On 29.12.2014 as per Sikh marriage tradition. I have been mentioned as Harleen Kaur Rana in all my educational certificates and Govt. Semi Govt. documents before marriage but after my marriage with Amit Singh Hora 373, Scheme 103, Kesarbagh Road Indore I Am Known and called as Harleen Kaur Hora at present and in future in all legal purposes and will put my signature as Harleen Kaur Hora. So, my name should be change to Harleen Kaur Hora W/o Amit Singh Hora in all educational and govt/semi govt documents so everybody and public in general should know this change in my name

Old Name:

New Name :

(HARLEEN KAUR RANA)**(HARLEEN KAUR HORA)**

(639-B.)

373, Scheme No. 3 Kesar Bagh
Road, Indore.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र कुमार अग्रवाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व के नाम जितेन्द्र कुमार बंसल, जितेन्द्र बंसल एवं जितेन्द्र अग्रवाल है जो कि मेरे एल. आई. सी. पॉलिटी एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मेरा वास्तविक नाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल है. जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं इसी नाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूंगा, तितेन्द्र कुमार बंसल, तितेन्द्र बंसल एवं जितेन्द्र अग्रवाल, जितेन्द्र कुमार अग्रवाल एक है व्यक्ति है. अतः मेरे एल. आई. सी. पॉलिटी एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा वास्तविक नाम जितेन्द्र कुमार अग्रवाल अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

नया नाम :

(जितेन्द्र कुमार बंसल, जितेन्द्र बंसल, जितेन्द्र अग्रवाल)**(जीतेन्द्र कुमार अग्रवाल)**

(645-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजू पारा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा गुजरात राज्य के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम पारा अंजू प्रभु दयाल अंकित है जबकि मैं वर्तमान में अंजू पारा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम से अंजू पारा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. अतः मेरे गुजरात राज्य से संबंधित शैक्षणिक प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पारा अंजू प्रभुदयाल के स्थान पर अंजू पारा किया जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :

नया नाम :

(पारा अंजू प्रभुदयाल)**(अंजू पारा)**

(651-बी.)

गोपाल पुरा, मुरैना जिला (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती ऋचा बहरानी पत्नी श्री डी. एस. बहरानी हूँ, विवाह पूर्व मेरा नाम मीना वत्रा था, विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती ऋचा बहरानी हो गया है, सभी सरकारी विभाग/दस्तावेजों में मीना वत्रा के स्थान पर ऋचा बहरानी से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(मीना वत्रा)

(652-बी.)

नया नाम :

(ऋचा बहरानी)

पत्नी श्री डी. एस. बहरानी,
पता-प्लॉट नं. 25, ब्लॉक नं. 37/38,
पचपेडी, जबलपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी शिल्पी प्लाजा रीवा के भागीदार श्री त्रियुगी नारायण शुक्ला पिता श्री लोकनाथ शुक्ला ग्राम-बगढा दुबे, पोस्ट- बगढा पिदिहान सेमरिया रीवा दिनांक 15-10-2018 से फर्म से पृथक हो गए हैं इनके स्थान पर श्रीमती ज्योति शुक्ला पत्नी श्री पवन कुमार शुक्ला ग्राम पोस्ट बेलवा सुरसरी रीवा फर्म में आज दिनांक से सम्मिलित हो रहे हैं आज दिनांक से त्रियुगी नारायण शुक्ला का फर्म के कार्यों से कोई लेना-देना नहीं रहेगा।

मैसर्स शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी,
पवन कुमार शुक्ला,
(भागीदार)
शिल्पी प्लाजा रीवा (म.प्र.).

(627-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मैसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स, 99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश 450331 पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00050/12 की साझेदारी से मैसर्स टेक्समो पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 98, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश दिनांक 01/09/2018 को निवृत्त हो गई है, जिनका भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं रहेगा, जो फर्म के जारी रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है, इसके साथ ही सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मैसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स की साझेदारी में श्री संजय कुमार अग्रवाल पिता श्री छगनलाल अग्रवाल तथा श्रीमति रश्मिदेवी अग्रवाल पति श्री संजय कुमार अग्रवाल दोनों निवासी, 221/2 श्री व्यंकटेश विला, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर मध्यप्रदेश साझेदार के रूप में दिनांक 01/09/2018 से सम्मिलित हो चुके हैं जो फर्म के जारी रहने वाले साझेदार को स्वीकार है, अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित।

मैसर्स मंगल मूर्ति मिनरल्स,
मोहित अग्रवाल
(भागीदार)

(638-बी.)

99, बहादुरपुर रोड, बुरहानपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी स्थित 216, आदर्श कॉलोनी, स्टेशन रोड, सबलगढ़ जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 27-06-1994 है, जिसमें दिनांक 18-07-2000 को भागीदार श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, निवासी सबलगढ़ अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 18-07-2000 से (1) श्री ऋतुराज पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, (2) मदनलाल पुत्र श्री पन्नालाल, (3) संजय कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, (4) श्रीमती माया देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासीगण आदर्श कॉलोनी, सबलगढ़, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(भागीदार)
मुरैना.

(640-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म बालाजी लैण्ड डेव्हलपर्स गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश अशोक बिहार

के पार्टनर पूरन कुमार आडवानी, आ. स्व. जेठानन्द आडवानी दिनांक 19-01-2018 को इनका निधन हो चुका है उनकी वसीयत के अनुसार उनकी जगह श्री गोपाल आडवानी आ. धनराज आडवानी, निवासी बालाघाट को फर्म में दिनांक 08-10-2018 से शामिल किया जा रहा है. अतः दिनांक 08-10-2018 से फर्म का संचालन गोपाल आडवानी आ. धनराज आडवानी, वीरेन्द्र पाण्डेय आ. रोहिणी प्रसाद पाण्डेय व शिवकुमार निखरा, आ. धन्नालाल निखरा द्वारा किया जायेगा.

शिवकुमार निखरा,

(भागीदार)

(641-बी.)

काथम वार्ड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मैं सरोज बस सर्विस, भानपुरा, जिला मंदसौर फर्म में तीन भागीदार थे जिसमें से आज दिनांक 01-04-1994 से भागीदार श्री निर्मल कुमार चौरडिया (एचयूएफ) भानपुरा को निर्वत कर दिया गया है, अब फर्म से दो ही भागीदार रहे हैं, जिनके नाम निम्नानुसार हैं:-

1. नवल कुमार चौरडिया (एचयूएफ)
2. कमल कुमार चौरडिया (एचयूएफ)

मैसर्स सरोज बस सर्विस,

नवल कुमार चौरडिया,

कमल कुमार चौरडिया (एचयूएफ),

(भागीदार)

(642-बी.)

भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म बी.आर.जी. अमर कोल्ड चैन जिसका पता 507 विक्रम टॉवर, सपना संगीता रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश एवं रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/01/0271/17, दिनांक 21-03-2017 से एक भागीदार फर्म है उक्त भागीदारी फर्म में हम 1. बृजकिशोर गोयल, 2. यश गोयल, 3. सरला गोयल, 4. राजीव टुटेजा, 5. ज्योति टुटेजा, 6. अर्पित टुटेजा, 7. उर्वशी टुटेजा भागीदार थे जिसमें से दिनांक 01-04-2017 को 1. बृजकिशोर गोयल, 2. यश गोयल, 3. सरला गोयल फर्म से अलग हो गये हैं. अब इन सभी का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.

बी. आर. जी. अमर कोल्ड चैन,

राजीव टुटेजा,

(भागीदार).

(643-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मोर्वीनन्दन फूड प्रोडक्ट्स, G 4, 5, 6, 24, 25, 26, इंडस्ट्रियल एरिया कुटरावली कैलारस जिला मुर्ना है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/06/0096/18, दिनांक 25-07-2018 है. जिसमें दिनांक 10-10-2018 को फर्म का नवीन पता-गैपरा, एम.एस.रोड, तह. जौरा, जिला-मुर्ना हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स मोर्वीनन्दन फूड प्रोडक्ट्स,

निर्मल सिंघल,

(भागीदार).

(644-बी.)

आम सूचना

यह सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि, श्री रजनी एस. मेहता पुत्र स्वर्गीय श्री शंकरलाल मेहता, निवासी, ए-146, महाकाली सोसाइटी त्रिलंगा, भोपाल, मध्यप्रदेश, 31-03-2018 से प्रभावी, साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके व्यापार का संचालन “प्रकृति इनिशिएटिव” के नाम और शैली के तहत इसके पंजीकृत कार्यालय ए-146, महाकाली सोसाइटी त्रिलंगा, भोपाल, मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्ति पार्टनरशिप डीड के तहत, 31-03-2018 को निष्पादित किया जा रहा है, तथा श्री प्रमोद मैथिल पुत्र श्री बी.पी.मैथिल, निवासी भोपाल तथा सुश्री नमिता मैथिल पुत्री श्री एन.पी.झा, निवासी भोपाल, जो फर्म के भागीदार हैं, “प्रकृति इनिशिएटिव” के नाम और शैली के तहत व्यापार संचालित करना जारी रखेंगे, जिसकी सहमति सेवानिवृत्त साथी के द्वारा दी जा चुकी है.

मैसर्स प्रकृति इनिशिएटिव,

प्रमोद मैथिल,

(भागीदार)

(647-बी.)

ए-146, महाकाली सोसाइटी त्रिलंगा, भोपाल, मध्यप्रदेश.

आम सूचना

मे. मनोहर रेडियो कम्पनी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंतर्गत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म क्र. सं. 01/01/01/03335/16, वर्ष 2016-17 की पंजीकृत फर्म है। आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि बतौर मे. मनोहर रेडियो कम्पनी एक साझेदारी फर्म है जो बतौर एक साझेदार श्री कंदार नाथ पारीख पुत्र श्री राधाकृष्ण पारीख, निवासी 67, शांति नगर, इब्राहिमगंज के पास, भोपाल-462001 के सेवानिवृत्त के कारण 22 मार्च, 2018 को पुर्नगठित हुई है, अनुबंध के प्रावधान के अनुसार 22 मार्च, 2018 को उनकी सेवानिवृत्ति हुई है। सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार ने सर्वसम्मति से उनके अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बिना किसी दावे एवं हस्तक्षेप के वर्तमान साझेदारों जो उनके द्वारा प्राप्त योग्य पात्र अर्थात् श्री शशांक पारीख एवं श्रीमती अनीता पारीख के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति को सभी अधिकारों, टाईटल, ग्रहणाधिकार, सुविधायें, लाभों आदि को छोड़ने के लिये सहमत हो गये हैं।

इस सूचना के द्वारा सतत साझेदार एवं फर्म आम-जनता को सूचित करती है कि वे मे. मनोहर रेडियो कम्पनी के केवल साझेदार हैं तथा उपरोक्त फर्म के साथ किसी का कोई लेन-देन हो तो वे सतत साझेदारों से सम्पर्क कर सकते हैं। यह सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है जो 22 मार्च, 2018 से प्रभावी है कि श्री कंदार नाथ पारीख पुत्र श्री राधा कृष्ण पारीख, निवासी 67, शांति नगर, इब्राहिमगंज के पास, भोपाल-462001 तिथि को साझेदार सेवानिवृत्ति डीड द्वारा साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं। जो “मे. मनोहर रेडियो कम्पनी” की नाम व स्टार्टल के अंतर्गत व्यापार संचालित करते थे।

श्री शशांक पारीख पुत्र श्री सुनील पारीख, निवासी 67, शांति नगर, इब्राहिमगंज के पास, भोपाल-462001 एवं श्रीमती अनीता पारीख पुत्री श्री कंदारनाथ पारीख, निवासी 67, शांति नगर, इब्राहिमगंज के पास, भोपाल-462001 जो कि फर्म के प्रबंधकीय साझेदार हैं “मे. मनोहर रेडियो कम्पनी” की नाम व शैली व सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार की सहमति से व्यापार को लगातार संचालित करेंगे। सभी खाते समायोजित किये जा चुके हैं, उन देयताओं को छोड़कर जो अधिसूचित नहीं थी, इस फर्म द्वारा मान्य नहीं की गई है।

यद्यपि यदि कोई व्यक्ति (यों) की यदि कोई देयता या असहमति या कोई अन्य मामला हो जिसे वह महत्वपूर्ण मानता हो तो “मे. मनोहर रेडियो कम्पनी” के नए प्रबंधक की जानकारी में ला सकता है, ऐसा अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्रत्यक्ष या अन्य प्रकार से इस सूचना के 15 दिनों के भीतर कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात् दावा या मामला या आपत्ति मान्य नहीं होगी। यह सूचना ऊपर दर्शाये सभी पक्षों की सहमति एवं हित एवं फर्म के सभी संबंधित पक्षों और आम जनता के हित के लिए किया जा रहा है।

For Manohar Radio Company,

अनीता पारीख,

(Partner)

21, हमीदिया रोड, भोपाल (म.प्र.).

(648-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स यू डी ए वुड इंडस्ट्रीज, पता 770, चंबल मार्ग नागदा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/05/00081/09, दिनांक 29-12-2009 है जिसमें आज दिनांक 13-01-2018 तक तीन भागीदार श्री उस्मान अली आत्मज श्री मामूर शह 770, चंबल मार्ग नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश श्री देवीलाल डाबी आत्मज श्री रामलाल डाबी, 770, चम्बल मार्ग नागदा, एवं श्री अमजद अली आत्मज श्री उस्मान अली 770, चंबल मार्ग नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सम्मिलित थे दिनांक 13-04-2018 को एक भागीदार श्री देवी लाल डाबी आत्मज श्री राम लाल डाबी 770, चंबल मार्ग नागदा, जिला उज्जैन ने अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं इस प्रकार आज दिनांक 13/04/2018 को निम्नलिखित भागीदार हैं (1) श्री उस्मान अली आत्मज श्री मामूर शह, (2) श्री अमजद अली आत्मज श्री उस्मान अली एवं इसी दिनांक 13-04-2018 से फर्म का नवीन पंजीकृत पता सर्वे क्रमांक 566, प्लॉट क्रमांक 5, उज्जैन, जावरा बाईपास रोड नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश हो गया है पूर्व पता 770, चंबल मार्ग नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश निरस्त हो कर फार्म का व्यवसाय पता आगे नहीं रहेगा भागीदार फर्म मैसर्स यू डी ए वुड इंडस्ट्रीज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन व आमजन सूचित हो।

मैसर्स यूडीए वूड इन्डस्ट्रीज ,

उस्मान अली,

(भागीदार)

नागदा.

(649-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी लैण्ड डेवलपर्स स्थित 2045, राईट टाउन, जबलपुर जिसका पं. क्र. 00249/12, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पंजीकृत है जिसका पता 2045, राईट टाउन, जबलपुर है। अब मुख्य कारोबार का पता-आदिनगर, रिमझा, कंटंगी बायपास के पास, जबलपुर मध्यप्रदेश तथा फर्म के वर्तमान में 13 भागीदार हैं। जिसमें से भागीदार (1) श्री राजेन्द्र तिवारी पिता श्री डी. पी. तिवारी अयोध्या नगर, नरसिंहपुर म.प्र., (2) श्रीमती सीमा उपाध्याय पति श्री संजय उपाध्याय 1097, इंदिरा गाँधी वार्ड, जबलपुर म.प्र., (3) श्रीमती अर्चना द्विवेदी पति श्री आशीष द्विवेदी, सिविल लाईन मंडला म.प्र., (4) श्री आर. सी. जैन पिता स्व. श्री के. एल. जैन, 42, कोतवाली वार्ड, जबलपुर म.प्र., (5) श्री अमित जैन पिता स्व. श्री अजीत कुमार जैन, 450/3, निवाड़गंज, जबलपुर म.प्र. दिनांक 19-01-2018 को फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा (6) श्री पूरन कुमार आडवानी पिता श्री जेठानंद आडवानी, 25 विवेकानंद कॉलोनी बालाघाट, दिनांक 19-01-2018 को स्वर्गवास हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं। फर्म में वर्तमान में 7 भागीदार (1) अखिलेश कुमार जैन पिता स्व. श्री अजीत कुमार जैन 450/3, निवाड़गंज जबलपुर, (2) संजीव अवस्थी पिता श्री उमाशंकर अवस्थी डी-302, शुभांकर अपार्टमेंट राईट टाउन, जबलपुर, (3) संजय तिवारी पिता स्व. श्री जे. एल. तिवारी, स्टेशन गंज, नरसिंहपुर म.प्र., (4) राजेश कुमार भारिल्य पिता श्री आर. सी. जैन, 42, कोतवाली वार्ड, जबलपुर, (5) संजीव शर्मा पिता श्री शिव प्रसाद शर्मा 16, जानकी विहार बी. टी. तिराहा गढ़ा, जबलपुर, (6) श्रीमती रजनी जैन पति राजेश कुमार भारिल्य, 42, कोतवाली वार्ड, जबलपुर, (7) प्रीति जैन पति श्री अखिलेश जैन, 450/3, निवाड़गंज, जबलपुर भागीदार फर्म को संचालित कर रहे हैं। उक्त परिवर्तन की स्थिति से प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/फर्म संस्था को कोई आपत्ति हो तो फर्म कार्यालय में सात दिवस के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

मै. बालाजी लैण्ड डेवलपर्स,

अखिलेश कुमार जैन,

(भागीदारी)

आदिनगर रिमझा, कंटंगी बाईपास के पास,
जबलपुर (म.प्र.).

(650-बी.)

आम सूचना

मेसर्स सोहम एक्विजम जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 28-04-2014 एवं क्र. 01/01/01/00040/2014, जिसका पता-17, झोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में दिनांक 14-11-2017 को अन्य दो नए पार्टनर जोड़े गए हैं। (1) श्री दिलीप लक्ष्मीलालजी सुराणा, पता-203-बी, गुलमार्ग प्राईड, कनाडिया रोड, इन्दौर, (2) हर्षवर्धन वीरेन्द्र सिंह धाकड़, पता-164, टेलीफोन नगर, इन्दौर. अतः सर्व-साधारण सूचित हो।

मेसर्स सोहम एक्विजम,

ओ. पी. मूलचंद कृपलानी,

(भागीदार)

17, झोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

(653-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

सहायक कुलसचिव ऑनलाईन परीक्षा-2018, परीक्षा दिनांक 19 अगस्त, 2018 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

वि.क्र.-12053/15/2018/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर विज्ञापन क्रमांक-02/2018/03 मई, 2018 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 09 जून, 2018 (अ) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/02/2018/03 मई, 2018, दिनांक 31 मई, 2018 (परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि में संशोधन के संबंध में) के अंतर्गत सहायक कुलसचिव, ऑनलाईन परीक्षा-2018 के कुल-29 पदों हेतु दिनांक 19 अगस्त, 2018 को प्रदेश के कुल-07 संभागीय/जिला मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना स्थित केन्द्रों पर दो सत्रों में आयोजित की गई थी। उक्त दिनांक को सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10 से 12 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 03: 00 से 05: 00 बजे तक सम्पन्न हुआ।

2. उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-12053/15/2018/अनु.-10, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में कुल पदों के 03 गुना+समान अंक प्राप्त कुल-93 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह

पाये गये हैं. प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों का श्रेणीवार, वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पद का नाम	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक कुलसचिव	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष
2.	पद संख्या	05 10	02 03	02 04	01 02	10 19
3.	03 गुना	15 30	06 09	06 12	03 06	30 57
4.	समान अंक	02	02	01	01	06
5.	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद	अस्थिबाधित-02				02
6.	साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह निःशक्तजन	अस्थिबाधित-06				06
7.	कुल संख्या	47	17	19	10	कुल-93

(3+4)

3. उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर (1) अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं (2) व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) में विधिवत भरकर उसके साथ, (3) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, (4) शैक्षणिक अर्हता, (5) जाति प्रमाण-पत्र, (6) मूल निवासी प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) बैंक खाता विवरण पृष्ठ की छायाप्रति, (9) शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र (10) निःशक्त अभ्यर्थी, निःशक्तता प्रमाण-पत्र (11) परीक्षा के लिये भरे गए ऑनलाईन आवेदन-पत्र की छायाप्रति एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिनका ऑनलाईन आवेदन-पत्र में उल्लेख है की प्रमाणित/स्व प्रमाणिक छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 02 नवम्बर, 2018 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा. कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार की संभावित तिथि 19 एवं 20 नवम्बर, 2018 रहेगी जिसकी निश्चित तिथि पृथक् से घोषित की जायेगी.

अपर परीक्षा नियंत्रक.

(1251)

इन्दौर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

सहायक कुलसचिव ऑनलाईन परीक्षा-2018, परीक्षा दिनांक 19 अगस्त, 2018 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

वि.क्र.-12053/15/2018/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर विज्ञापन क्रमांक-02/2018/03 मई, 2018 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 09 जून, 2018 (अ) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/02/2018/03 मई, 2018, दिनांक 31 मई, 2018 (परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि में संशोधन के संबंध में) के अंतर्गत सहायक कुलसचिव, ऑनलाईन परीक्षा-2018 के कुल-29 पदों हेतु दिनांक 19 अगस्त, 2018 को प्रदेश के कुल-07 संभागीय/जिला मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना स्थित केन्द्रों पर दो सत्रों में आयोजित की गई थी. उक्त दिनांक को सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 10 से 12 बजे तक, द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक सम्पन्न हुआ.

2. उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञापित क्रमांक-12053/15/2018/अनु.-10, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

द्वारा घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में कुल पदों के 03 गुना+समान अंक प्राप्त कुल-93 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह पाये गये हैं। प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों का श्रेणीवार, वर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पद का नाम	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक कुलसचिव	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष	महिला शेष
2.	पद संख्या	05 10	02 03	02 04	01 02	10 19
3.	03 गुना	15 30	06 09	06 12	03 06	30 57
4.	समान अंक	02	02	01	01	06
5.	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद	अस्थिबाधित-02				02
6.	साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह निःशक्तजन	अस्थिबाधित-06				06
7.	कुल संख्या (3+4)	47	17	19	10	कुल-93

3. उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों के लिए अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड कर (1) अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं (2) व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) में विधिवत भरकर उसके साथ, (3) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, (4) शैक्षणिक अर्हता, (5) जाति प्रमाण-पत्र, (6) मूल निवासी प्रमाण-पत्र, (7) आधार कार्ड, (8) बैंक खाता विवरण पृष्ठ की छायाप्रति, (9) शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय-पत्र (10) निःशक्त अभ्यर्थी, निःशक्तता प्रमाण-पत्र (11) परीक्षा के लिये भरे गए ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिनका ऑनलाईन आवेदन-पत्र में उल्लेख है कि प्रमाणित/स्वप्रमाणिक छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 02 नवम्बर, 2018 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा। कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सुक्ष्म जाँच करने के उपरान्त सही पाए जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की संभावित तिथि 19 एवं 20 नवम्बर, 2018 रहेगी जिसकी निश्चित तिथि पृथक् से घोषित की जायेगी।

सहायक कुलसचिव ऑनलाईन परीक्षा-2018 में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के रोल नम्बर व नाम की सूची निम्नानुसार है :-

ASSISTANT REGISTRAR EXAM-2018, PROVISIONAL SELECT LIST FOR INTERVIEW

SL. No.	ROLL No.	FULL NAME
1.	1000047	SANJAY KUMAR PAHADE
2.	1000166	MONALI SURYAVANSHI
3.	1000392	PREM SINGH CHOUHAN
4.	1000654	AADITYA KUMAR TRIPATHI
5.	1000813	MEENAKSHI JAISWAL
6.	1000856	AATMARAM SOLANKI
7.	1000905	RAVI KUMAR ANGARE
8.	1000908	AMIT KUMAR SISODIYA
9.	1001138	ARPIT ALAWA
10.	1001210	MOHAMMED ILIYAS SHEIKH
11.	1001285	DURGESH KUMAR PENDRO

SL. No.	ROLL No.	FULL NAME
12.	1001595	KULDEEP SINGH CHAUHAN
13.	1002266	DHEERA GUPTA
14.	1002549	BRAJESH SINGH THAKUR
15.	1002606	PUSHPANJALI AJNARE
16.	1002786	SATENDRA PATHAK
17.	1002792	NIKITA UIKEY
18.	1002871	DHEERAJ KUMAR SAHU
19.	1002977	FAEEM KHAN
20.	1003040	VAIDURYA MANI TIWARI
21.	1003055	VIRENDRA UCHWARE
22.	1003206	RAKHI RATHORE
23.	1003486	JYOTI KHARADI
24.	1003502	RAJNI KANT SONI
25.	1003641	SIMMI YADAV
26.	1003676	AJEET DWIVEDI
27.	1003680	NIRMALA DEWADA
28.	1003691	PRATIBHA BAGHEL
29.	1003824	CHENRAM PANWAR
30.	1003841	KRATIKA SHINDE
31.	1003922	MANOJ HAROD
32.	1003948	VAISHALI RAMTEKE
33.	1003961	PUNEET SHUKLA
34.	1004049	VEENA GUPTA
35.	1004051	VIKASH SINGH CHAUHAN
36.	1004317	ANURAG DWIVEDI
37.	1004492	LEKHRAM DARSIMA
38.	1004648	ANIT KUMAR RAI
39.	1004921	SEEMA DUBEY
40.	1005245	RANJEET SINGH
41.	1005509	BHAVANA PATNE
42.	1005625	SOUMYA MALIK
43.	1005662	JAGPAL SINGH YADAV
44.	1006000	BHAVYA TRIPATHI
45.	1006001	AKASH JAIN
46.	1006147	PREETI RANA SHEKHAWAT
47.	1006368	SANDHYA MALVIYA
48.	1006422	ASHISH GUPTA
49.	1006751	SHARAD PATEL

SL. No.	ROLL No.	FULL NAME
50.	1007190	AMITABH SHUKLA
51.	1007337	VISHNU NARAYAN MISHRA
52.	1007388	GAUREE SHANKAR BARAR
53.	1007588	HARSH MEGHWAL
54.	1007648	ANURAG CHAUHAN
55.	1007770	ABUL HASAN
56.	1007773	TINESHWARI DHRUW
57.	1008281	RAMJI BHALAVI
58.	1008282	SUNIL KUMAR UPADHYAY
59.	1009040	SWARN GAURAV SINGH
60.	1009252	MANOJ KUMAR DHURVE
61.	1009275	NASREEN KAUSER
62.	1009364	ABHAY KUMAR GUPTA
63.	1009602	NOOPUR SHARMA
64.	1009609	PRAVEEN KUMAR KAROCHE
65.	1010069	KAMLESH AHIRWAR
66.	1010112	UMESH KUMAR SINGH
67.	1010129	SUNIL NAYAK
68.	1010299	PAVAN SHARMA
69.	1010434	SADHNA SHARMA
70.	1010842	GULFARAZ BANO
71.	1011132	PREETI SHAKYA
72.	1011353	AJAY PRAKASH LODHI
73.	1011397	YOGITA BHATNAGAR
74.	1011794	RASHMI SANDIYA
75.	1012146	KAMAL DUTT SHARMA
76.	1012179	HITESH KODAPE
77.	1012510	BHAWNA KUMRE
78.	1012516	PANCHAM .LAL SANODIYA
79.	1013405	VIDYA PANDEY
80.	1013561	PRAVEEN KUMAR PRAJAPATI
81.	1013816	BRIJRAJ SINGH
82.	1013841	PENENDRA KUMAR MESHRAM
83.	1014073	MINAL GUPTA
84.	1014550	BHAGYASHRI PRABHAKAR
85.	1014553	RAKESH KUMAR CHADAR
86.	1014765	HARSHIT TAMRAKAR
87.	1014895	MOHIT ROHITAS
88.	1015056	POONAM PATHAK
89.	1015283	RITHAM JAIN
90.	1015464	CHAKRAPANI MISHRA

SL. No.	ROLL No.	FULL NAME
91.	1015672	AKHIL TIWARI
92.	1015795	ASHUTOSH MISHRA
93.	1015814	PRAVEEN KUMAR PRAJAPATI

महत्वपूर्ण टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे एवं उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी.
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक खाता विवरण के पृष्ठ की छायाप्रति, निःशक्त अभ्यर्थी निःशक्तता प्रमाण-पत्र एवं आवेदन में उल्लेखित समस्त प्रमाण-पत्रों के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक का अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर अनर्ह पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम न्यायालय के निर्णय के अधधीन रहेगा.
6. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.
7. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.
8. आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 02 नवम्बर, 2018 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें.

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेन्सी एरिया, इंदौर (म.प्र.) 452001.

लिफाफे पर पद का नाम-सहायक कुल सचिव ऑनलाईन परीक्षा-2018, साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखे.

अपर परीक्षा नियंत्रक.

(1251)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, भोपाल**

प्र.क्र. 04/बी-113/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (हीरा न्यास ट्रस्ट) द्वारा श्री संजय कुमार जैन आ. श्री जिनेश कुमार जैन एवं दिव्या जैन पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार जैन ट्रस्टी द्वारा हीरा न्यास ट्रस्ट, निवासी म. नं. ई-3/94, नर्मदा अस्पताल के पास, अरेरा कॉलोनी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को विचार किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के मध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : हीरा न्यास ट्रस्ट.
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : निल.

आज दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1222)

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2015/535 सीहोर दिनांक 22 जून, 2015 के द्वारा खेतीहर मजदूर कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मगजपुर जिसका पंजीयन क्र. 1076, दिनांक 30 नवम्बर, 1985 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए खेतीहर मजदूर कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मगजपुर जिसका पंजीयन क्र. 1076, दिनांक 30 नवम्बर, 1985 संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1179)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2015/535 सीहोर दिनांक 22 जून, 2015 के द्वारा उमा श्री मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मंडी सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1168, दिनांक 02 मई, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए उमा श्री मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मंडी सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1168, दिनांक 02 मई, 2001 संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1180)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2015/535 सीहोर दिनांक 22 जून, 2015 के द्वारा सबा लोहा काष्ठ कला सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1129, दिनांक 11 मार्च, 1999 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार शक्तियों का प्रयोग करते हुए सबा लोहा काष्ठ कला सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोर जिसका पंजीयन क्र. 1129, दिनांक 11 मार्च, 1999 संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(1181)

सीहोर, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

क्र./पंजी./पुन./2018.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम निपानिया में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं सतराना को पुनर्गठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., निपानिया का गठन होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2018 को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना द्वारा, दिनांक 23 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला में-राला पाडल्या, अमलाड़ा, सरवरगंज, चिटीखेड़ा, नंदगाँव, को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना में सतराना, आगरा, दिगवाड़, महागांव, बासनिया, धनकोट, श्यामूगांव एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निपानिया में-निपानिया, चिचलहा, गोहान, तजपुरा, खनपुरा, पीपलकोटा को मिलाकर तीन संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा-16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1182)

सीहोर, दिनांक 22 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (12) के अंतर्गत]

क्र./पंजी./पुन./2018/1243.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र./साख/विधि/पी-21/2018/2028, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम दिगवाड़ में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना एवं सोयत को पुनर्गठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., दिगवाड़ का गठन होगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2018 को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., सोयत द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना में-सतराना, आगरा, मलाजपुर, रमगढा, पटरानी को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सोयत में-रिझडिया, इटावा, कलवाना, चिचलायखुर्द, जमोनिया, सोयत, घमन्डा, भबबड, बोरघाटी, चन्दपुरा, पिपलिया खालसा एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ में दिगवाड़, महागांव, धनकोट, बासनिया, श्यामूगांव, नदियाखेड़ा को मिलाकर तीन संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है, अतः अधिनियम की धारा-16(5) के अंतर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 22 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1183)

सीहोर, दिनांक 22 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (3) के अंतर्गत]

क्र./पंजी./पुन./2018/1245.—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ के पंजीयन हेतु शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर, शाखा नसरुल्लागंज द्वारा अपने पत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2017 द्वारा परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था के प्रस्ताव दिनांक 19 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया। उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2017/1586, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था रिठवाड़ के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजी गई। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2017/3892, दिनांक 25 नवम्बर, 2017 द्वारा ग्राम रिठवाड़, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/67, दिनांक 18 जनवरी, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया। पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला में ग्राम-राला, पाड़लिया, अमलाड़ा, सरवरगंज, चिंटीखेड़ा, नन्दगाँव, खनपुरा, पिपलकोटा को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ में ग्राम-रिठवाड़, हाथीघाट, ढांडिया, नेहरूगाँव, बड़ोदिया, खात्याखेड़ी, नाहरखेड़ा को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16(5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1216, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., रिठवाड़ निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला पंजीयन क्रमांक 1559, दिनांक 23 अक्टूबर, 1958.	राला	राला, पाड़लिया, अमलाड़ा, सरवरगंज, चिंटीखेड़ा, नन्दगाँव, खनपुरा, पीपलकोटा.
परिणामी संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., रिठवाड़ पंजीयन क्रमांक 1921, दिनांक 22 सितम्बर, 2018.	रिठवाड़	रिठवाड़, हाथीघाट, ढांडिया, बड़ोदिया, खात्याखेड़ी, नाहरखेड़ा, नेहरूगाँव.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला के पास रहेगी। सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे।
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे।

3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति, गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

(1184)

सीहोर, दिनांक 24 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (3) के अंतर्गत]

क्र./पंजी./पुन./2018/1247.—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निपानिया के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव दिनांक 18 मई, 2018 को प्राप्त हुआ. उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था निपानिया के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2080, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम निपानिया, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/969, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निपानिया के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं सतराना को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया. पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला में ग्राम-राला, पाड़ल्या, अमलाड़ा, सरवरगंज, चिंटीखेड़ा, नन्दगाँव को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना में ग्राम-सतराना, आगरा तथा नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निपानिया में ग्राम-निपानिया, चिचलाह, गोहान, तजपुरा, पीपलकोटा, खनपुरा को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूँकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16(5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1235, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूँकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारित विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला, सतराना एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., निपानिया निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें :-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला पंजीयन क्रमांक 1559, दिनांक 23 अक्टूबर, 1958.	राला	राला, पाड़ल्या, अमलाड़ा, सरवरगंज, चिंटीखेड़ा, नन्दगाँव.
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना, पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 26 जून, 1967.	सतराना	सतराना, आगरा, दिगवाड़, महागांव धनकोट, बासनिया, श्यामगाँव.

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
परिणामी संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निपानिया पंजीयन क्रमांक 1922, दिनांक 24 सितम्बर, 2018.	निपानिया	निपानिया, चिचलाह, गोहान, तजपुरा, पीपलकोटा, खनपुरा.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला/सतराना के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति, गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

(1185)

सीहोर, दिनांक 24 सितम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (3) के अंतर्गत]

क्र./पंजी./पुन./2018/1249.—प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सोयत से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/36/18/293, दिनांक 05 मई, 2018 परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव दिनांक 18 मई, 2018 को प्राप्त हुआ. उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/640, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था निपानिया के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत् प्रस्ताव भेजा गया. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2018/2080, दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा ग्राम निपानिया, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2018/969, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राला एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना एवं सोयत को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2018 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सोयत द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2018 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया. पारित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना में ग्राम-सतराना, आगरा, मलाजपुर, रमगढ़ा, पटरानी को एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सोयत में ग्राम-रिझडिया, इटावा, कलवाना, चिचलायखुर्द, जमोनिया, सोयत, घामन्डा, भम्बड, बोरघाटी, चन्दपुरा, पिपलिया खालसा तथा नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ में ग्राम-दिगवाड़, महागांव, धनकोट, बासनिया, श्यामगांव, नादियाखेड़ा को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया.

चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16(5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया. कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2018/1243, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई.

चूंकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारित विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., दिगवाड़ निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना, पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 26 जून, 1967.	सतराना	सतराना, आगरा, मलाजपुर, रमगढ़ा, पटरानी.
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सोयत, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 25 मई, 1959	सोयत	रिझडिया, इटावा, कलवाना, चिचलायखुर्द, जमोनिया, सोयत, घामन्डा, भम्बड, बोरघाटी, चन्दपुरा, पिपलिया, खालसा.
परिणामी संस्था प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिगवाड़ पंजीयन क्रमांक 1923, दिनांक 24 सितम्बर, 2018.	दिगवाड़	दिगवाड़, महागांव, धनकोट, बासनिया, श्यामूगांव, नादियाखेड़ा.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सतराना के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति, गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
4. संस्था में संचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(1186)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

क्र./परि./2018/2394.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खडीचा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 715, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 के परिसमापक श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है. जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/2217, दिनांक 04 मई, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है. संस्था के कारोबार चलाने हेतु 03 माह के लिये निर्मांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है. नामांकित प्रबंध समिति 03 माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. श्रीमती हसमुखी | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती द्दोबाई | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती उर्मिला | सदस्य |
| 4. श्रीमती मनोज बाई | सदस्य |
| 5. श्रीमती भारती बाई | सदस्य |
| 6. श्रीमती हेमा बाई | सदस्य |
| 7. श्रीमती शीला बाई | सदस्य |

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(1223)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1812.—न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 321, दिनांक 25 मई, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1423, रतलाम, दिनांक 20 अगस्त, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था।

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. भट्ट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1224)

रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1813.—साई बुद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, धामनोद जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 900, दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1422/ रतलाम, दिनांक 20 अगस्त, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था।

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साई बुद्धेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, धामनोद, जिला रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1225)

रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1814.—साई बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तितरी जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 01 जून, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1419/

रतलाम, दिनांक 20 अगस्त, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था।

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साईं बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तितरी जिला रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री विकास खराडे, सहकारी निरीक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1226)

रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1815.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडीया जंगली, जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 16 फरवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1420/ रतलाम, दिनांक 20 अगस्त, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था।

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडीया जंगली जिला रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आशीष लोहरा, सहकारी निरीक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1227)

रतलाम, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1816.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडावदा जिला रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक 325, दिनांक 28 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1421/ रतलाम, दिनांक 20 अगस्त, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था।

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बडावदा जिला रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत कु. दिपीका केमा, उप-अंकेक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

परमानन्द गोडरिया,
उप रजिस्ट्रार.

(1228)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4331.—सहकारिता विभाग कर्मचारी साख समिति मर्या., होशंगाबाद के प्रशासक के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2811, दिनांक 04 जून, 2018 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2018/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद सहकारिता विभाग कर्मचारी साख समिति मर्या. होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1229)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4332.—मां रेवा उन्नत बीज उत्पादक मर्या., सांगाखेडाकला के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1411, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मां रेवा उन्नत बीज उत्पादक मर्या., सांगाखेडाकला को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1230)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4333.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटवासा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2359, दिनांक 09 मई, 2018 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था

को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2018/1663, दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुटवासा को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1231)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4334.—मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुधनी के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1412, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2017/299, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., बुधनी को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1232)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4335.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/298, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बम्होरिया को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1233)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4336.—जाग्रति जैविक खाद मर्यादित, राजौन के प्रशासक के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 89, दिनांक 06 जनवरी, 2018

के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2018/1662 दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद जाग्रति जैविक खाद मर्यादित, राजौन को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1234)

होशंगाबाद, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4337.—कुवेर साख सहकारी समिति मर्यादित, बीजनवाडा (पिपरिया) के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/..... दिनांक 11 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया था कि संस्था द्वारा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/ परिसमापन/2018/1665 दिनांक 26 जून, 2018 के द्वारा धारा 69(3) कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद कुवेर साख सहकारी समिति मर्यादित, बीजनवाडा (पिपरिया) को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री मंगेश पुरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1235)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4342.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3013, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., सोहजनी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2807, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री उमेश यादव, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., सोहजनी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2807, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1236)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4343.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/206, होशंगाबाद, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा परि. भाग्य श्री साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2912, दिनांक 28 फरवरी, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. भाग्य श्री साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2912, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1237)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4344.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/206, होशंगाबाद, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा परि. प्राथमिक महिला साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2733, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. प्राथमिक महिला साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2733, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1238)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4345.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/206, होशंगाबाद, दिनांक 04 फरवरी, 2017 के द्वारा परि. बालाजी साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2918, दिनांक 01 मार्च, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दिनेश भालेकर, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी

का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. बालाजी साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2918, दिनांक 01 मार्च, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1239)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र.परि./2018/4346.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3013, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि.दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., अजबगांव, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2095, दिनांक 18 अगस्त, 2006 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री उमेश यादव, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि.दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., अजबगांव, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2095, दिनांक 18 अगस्त, 2006 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1240)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र.परि./2018/4347.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3010, होशंगाबाद, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि.बीज पौध क्रय विक्रय सहकारी समिति, मर्या., मालाखेड़ी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2944, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि.बीज पौध क्रय विक्रय सहकारी समिति, मर्या., मालाखेड़ी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2944, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1241)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4348.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3010, होशंगाबाद, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि.मॉ नर्मदा महिला साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3280, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि.मॉ नर्मदा साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3280, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1242)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4349.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/985, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परि. रिया साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2912, दिनांक 02 जनवरी, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी.पी.पाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. रिया साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2912, दिनांक 02 जनवरी, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1243)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4350.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/985, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परि. पूजा साख सहकारी समिति, मर्या., रंढाल होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2921, दिनांक 01 मार्च, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी.पी.पाल, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. पूजा साख सहकारी समिति, मर्या., रंडाल होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2921, दिनांक 01 मार्च, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1244)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4351.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/705, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा परि. साईं बीज पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मर्या., सेमरीखुर्द, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3053, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी.पी.पाल, उप अंकेशक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. साईं बीज पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मर्या., सेमरीखुर्द, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3053, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1245)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4352.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/985, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा परि. रमाशंकर साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2925, दिनांक 04 मई, 2007 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी.पी.पाल, उप अंकेशक कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. रमाशंकर साख सहकारी समिति, मर्या., होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2925, दिनांक 04 मई, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1246)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4353.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3014, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., सुपरली, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2842, दिनांक 28 मई, 2005 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एल.एल. अम्बुलकर, वरि. सहायक निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., सुपरली, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2842, दिनांक 28 मई, 2005 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1247)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4354.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3014, होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर, 2017 के द्वारा परि. तवा. विस्थापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति, मर्या., रैसलपाठा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2534, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एल.एल. अम्बुलकर, वरि. सहायक निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परि. तवा. विस्थापित एवं प्रभावित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रैसलपाठा, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2534, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1248)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4355.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1168, होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017 के द्वारा परिसमापन जिज्ञौतिया साख सहकारी समिति, मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 3035, दिनांक 30 जून, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन जिज्ञौतिया साख सहकारी समिति, मर्यादित, इटारसी पंजीयन क्रमांक 3035, दिनांक 30 जून, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1249)

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/4356.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1163, होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017 के द्वारा परिसमापन श्रद्धा महिला साख सहकारी समिति, मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 05 जनवरी, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें विहित हैं, का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन श्रद्धा महिला साख सहकारी समिति, मर्यादित, इटारसी पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 05 जनवरी, 2001 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(1250)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2018-कार्तिक 11 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 मई, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है. जिला मण्डला में वर्षा का होना तथा राज्य के शेष जिलों में वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील मण्डला, बिछिया, निवास व नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.— जिला दमोह, मन्दसौर, शाजापुर, धार, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, छिंदवाडा में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.— . .

4. फसल स्थिति— . .

5. कटाई.— . .

6. सिंचाई.— जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा.— राज्य के जिला शिवपुरी में पशुओं के लिये चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 23 मई, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौनमिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा अपर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्लदेवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) उड़द, मूँग, मोठ-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-(बघेलान)	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) मूँग कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्याँदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागड़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आप्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4.(1) उड़द, मूँग-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	2.6		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	7.0				
4. निवास	4.0				
5. नारायणगंज	0.6				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	. .				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जुन्नार देव	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. छिन्दवाड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तामिया	. .				
4. परासिया	. .				
5. जामइ	. .				
6. सोंसर	. .				
7. बिछुआ	. .				
8. अमरवाड़ा	. .				
9. चौरई	. .				
10. उमरेठ	. .				
11. मोहखेड	. .				
12. हरई	. .				
13. चांद	. .				
14. पांडुर्णा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त	
3. कुरई	. .				
4. केवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. धनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लौंजी	. .		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्बा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

टीप:- जिला झाबुआ से पत्रक अप्राप्त है.

आर. पी. भारती,

संयुक्त आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1221)